To develop Oxy-Forest

119 Sh. NEERAJ SHARMA (Faridabad Nit):

Will the Forest & Wildlife Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that a proposal has been received by the Forest Department for developing an Oxy-forest on the vacant land of the Rehabilitation Department near Dabua Vegetable Market in Faridabad; and

b) the reasons for not developing the said Oxy-forest so far, togetherwith the time by which the said Oxy-forest is likely to be developed?

Reply: Kanwar Pal, Forest and Wildlife Minister, Haryana

a) Yes Sir. The Forest Department has received a proposal for developing an Oxy-Forest on the land of the Rehabilitation Department near Dabua Vegetable Market in Faridabad.

b) The Deputy Commissioner, Faridabad vide his letter no. 560 dated 17.08.2021 (Copy enclosed) has informed that the land at Dabua Mandi, initially proposed for the Oxy-Forest project, was under the Rehabilitation Department and had been allocated for commercial development since 1991. This area now comprises shop-cum-flats built and auctioned by the Rehabilitation Department. Due to these pre-existing commitments and developments, the land could not be transferred to the Forest Department. **As the transfer of land to Forest Department is a requisite for developing the Oxy-Forest, the project is not feasible at this location.**

ऑक्सी-वन विकसित करना

119 श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद नीट):

क्या वन एवं वन्यजीव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद में डबुआ सब्जी मंडी के पास पुनर्वास विभाग की खाली जमीन पर ऑक्सी-वन विकसित करने का प्रस्ताव वन विभाग को प्राप्त हुआ है, और

ख) उक्त ऑक्सी-वन अब तक विकसित न होने के क्या कारण हैं, साथ ही उक्त ऑक्सी-वन कब तक विकसित होने की संभावना है?

उत्तरः कंवर पाल, वन एवं वन्यजीव मंत्री, हरियाणा

क) जी श्रीमान, वन विभाग को फरीदाबाद के डबुआ सब्जी बाजार के पास पुनर्वास विभाग की जमीन पर एक ऑक्सी-वन विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

ख) उपायुक्त, फरीदाबाद ने अपने पत्र संख्या 560 दिनांक 17.08.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया है कि डबुआ मंडी में ऑक्सी-वन परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि पुनर्वास विभाग के अधीन थी और उसे 1991 से वाणिज्यिक विकास के लिए आवंटित किया गया था। अब यह क्षेत्र पुनर्वास विभाग द्वारा निर्मित और नीलाम किए गए दुकान और फ्लैट्स से युक्त है। इन पूर्ववर्ती प्रतिबद्धताओं और विकास के कारण, यह जमीन वन विभाग को हस्तांतरित नहीं की जा सकी। **चूँकि ऑक्सी-वन विकसित करने के लिए वन विभाग को जमीन का हस्तांतरण आवश्यक है। अतः इस स्थान पर ऑक्सी-वन बनाना संभव नहीं है।**

प्रेषकः–

उपायुक्त,
फरीदाबाद

सेवा में
उप वन संरक्षक
बाई पास रोड़ नजदीक रोज गाईन
सैक्टर–14 फरीदाबाद
क्रमांक 560 दिनांक 17.08.2021

विषय डबुआ मण्डी विभाग की जमीन पर आक्सी वन स्थापित करने बारे।

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 532 दिनांक 29.07.2021 के सन्दर्भ में विषयाधीन मामले में आपने जिस जमीन पर आक्सी वन स्थापित करने बारे अनुरोध किया है, उस बारे सूचित किया जाता है कि विभाग की डबुआ मण्डी के साथ लगती जमीन पर वर्ष 1991 में शाप–कम–फ्लैट बनाए गए थे। जिसकी नगर निगम द्वारा ड्रांइग नं0 801 दिनांक 19.11.1991 तैयार की गई थी। इस ड्रांइग के तहत इसमें 140 शाप–कम–फ्लैट बनाए गए थे, जिसमें रोड़, पार्किंग की सुविधा नगर निगम द्वारा की जानी थी। विभाग द्वारा समय–2 पर शाप–कम–फ्लैट की नीलामी की गई तथा वर्ष 1991 से अब तक लगभग 50 शाप–कम–फ्लैट नीलाम किए जा चुके है। जिसमें काफी व्यक्तियों को कन्वींश डीड भी जारी हो चुकी है बकाया शाप–कम–फ्लैट की नीलामी भी नियमानुसार की जाएगी। इस प्रकार जगह उपलब्ध न होने के कारण उक्त जमीन आपके विभाग को हस्तांतरण नही की जा सकती।

कृते उपायुक्त
फरीदाबाद
(विजयसिंह), तहसीलदार (सेल्ज)
For DEPUTY COMMISSIONER
FARIDABAD